।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 08.05.2023 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 08.05.2023 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्रीमती मालिनी अग्रवाल, अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. डॉ. सौम्या झा, संयुक्त शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य सचिव
4. श्री दिलबाग सिंह , उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर। — सदस्य

माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में निम्न 06 बंदियों के खुला बंदी शिविर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये :-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
उदयलाल उर्फ उदा पुत्र रामा	के.का. उदयपुर	29/2023	28.03.2023	12.04.2023
जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र मुंशीराम	के.का. भरतपुर	589/2022	25.04.2023	01.05.2023
संदीप सिंह पुत्र डूंगर सिंह	वि.के.का. श्यालावास, दौसा	177/2023	25.04.2023	05.05.2023
विजय कुमार उर्फ खुशीलाल पुत्र दरपी उर्फ दुखीलाल	के.का. बीकानेर	344/2022	28.03.2023	02.04.2023
शोभालाल उर्फ शोभाग उर्फ सुभाष पुत्र हेमराज	के.का. उदयपुर	573/2022	28.03.2023	16.04.2023

जगदीश उर्फ जग्गी पुत्र इन्द्र सिंह	के.का. अलवर	114/2023	27.04.2023	08.05.2023

स्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. शोभालाल उर्फ शोभाग उर्फ सुभाष पुत्र हेमराज मीणा, के.का. उदयपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2022 तक 08 वर्ष 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 28.03.2023 को निर्णय पारित कर बंदी के खुला बंदी शिविर प्रकरण पर विचार कर इसकी बारी आने पर खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

बंदी को दिनांक 25.04.2022 को सम्पन्न खुला बंदी शिविर की बैठक में खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का निर्णय किया गया किन्तू दिनांक 24.08.2020 को औपचारिक चेतावनी के जेल दण्ड से दण्डित होने के कारण संबंधित कारागृह द्वारा बंदी को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाया गया। उसके बाद संबंधित कारागृह द्वारा बंदी को दिनांक 18.05.2022 को उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने तक परिहार से वंचित किये जाने के जेल दण्ड से दण्डित किया गया।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा आदेश दिनांक 28.03.2023 में अंकित किया गया है कि दिनांक 24.08.2020 को बंदी को औपचारिक चेतावनी के जेल दण्ड को दण्ड नही माना जाकर उसे खुला बंदी शिविर में भिजवाना चाहिए था। एवं माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अंकित किया है कि दिनांक 18.05.2022 एवं 04.12.2022 के जेल दण्ड बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने के आदेश दिनांक 25.04.2022 के बाद के है जो कि इस आदेश को प्रभावित नही करेंगे।

अत: उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **शोभालाल उर्फ शोभाग उर्फ सुभाष पुत्र हेमराज मीणा** को खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

2. जगदीश उर्फ जग्गी पुत्र इन्द्र सिंह, केन्द्रीय कारागृह, अलवर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2022 तक 08 वर्ष 05 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर द्वारा दिनांक 27.04.2023 को निर्णय पारित कर बंदी को खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया है।

दिनांक 25-04-2022 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में बंदी के खुला बंदी शिविर प्रकरण पर विचार कर बंदी के विरूद्ध एक अन्य प्रकरण संख्या 23632/16 विचाराधीन होने के कारण बंदी को खुला

बंदी शिविर में नहीं भिजवायें जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त विचाराधीन प्रकरण का संबंधित न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.2022 को निर्णय किया जाकर 01 वर्ष 04 माह की सजा से दण्डित किया गया जो कि बंदी द्वारा भुगत ली गई है।

अत: उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **जगदीश उर्फ जग्गी पुत्र इन्द्र सिंह** को खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

1. उदयलाल उर्फ उदा पुत्र रामा, के.का. उदयपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2022 तक 09 वर्ष 04 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 28.03.2023 को निर्णय पारित कर बंदी के संबंध में पूर्व आदेश दिनांक 08.12.2022 को आपास्त कर बंदी के प्रार्थना-पत्र पर 04 सप्ताह में विचार कर निर्णय किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

बंदी माननीय ए.डी.जे. संख्या-4, उदयपुर के प्रकरण संख्या 79/2014 अंतर्गत धारा 307, 325, 149 आई.पी.सी. (जमानत पर) विचाराधीन है।

*राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 की उद्देशिका में अंकित है कि-चूंकि राजस्थान के सिद्धदोषों में अच्छे आचरण, कार्य के संतोषजनक निष्पादन, एवं स्व-अनुशासन जीवन को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से **खुली हवा शिविरों में सिद्धदोषों को भेजने** के लिए नियम बनाना, तथा इन सिद्धदोषों को पूर्व-रिहाई प्रदाय करने के लिये, सामाजिक समायोजन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता सिखाने के अवसर प्रदान करने के लिये, नियम बनाये जाना आवश्यक है।*

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत **केवल दण्डित बंदियों को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का प्रावधान है** जबकि बंदी अन्य 01 प्रकरण में (जिसमे वह जमानत पर है) विचाराधीन है।

अत: उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **उदयलाल उर्फ उदा पुत्र रामा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

2. जीतेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र मुंशीराम, के.का. भरतपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2022 तक 04 वर्ष 06 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर द्वारा दिनांक 25.04.2023 को निर्णय पारित कर बंदी के खुला बंदी शिविर प्रकरण पर नियमानुसार विचार किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

दिनांक 29.03.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में दिनांक 31.12.2022 तक 08 वर्ष 07 माह 08 दिवस तक की सजा भुगतने वाले बन्दियों को खुला बन्दी शिविर में भिजवाया गया है। बन्दी, खुला बन्दी शिविर हेतु पात्र है, किन्तु बन्दी सजा उपभोग की वरिष्ठता में अन्य बन्दियों से कनिष्ठ है। जब भी बन्दी वरिष्ठतानुसार खुला बन्दी शिविर में भेजने हेतु योग्य होगा, तब बन्दी के प्रकरण पर विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

अत: समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **जीतेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र मुंशीराम** को वरिष्ठतानुसार योग्य होने पर खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने हेतु विचार करने का निर्णय लिया गया।

3. संदीप सिंह पुत्र डूंगर सिंह, वि.के.का.श्यालावास, दौसा

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2022 तक 10 वर्ष 03 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 25.04.2023 को निर्णय पारित कर दो लंबित प्रकरणों में बरी होने एवं धारा 460 आई.पी. सी. में 10 वर्ष सजा पूर्ण कर लेने के कारण तथा पूर्व निर्णय याचिका संख्या 532/2021 (संदीप बनाम राज्य व अन्य) में पारित निर्णय के प्रकाश में बंदी के खुला बंदी शिविर प्रकरण पर विचार किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

दिनांक 19.01.2022 को आयोजित बन्दी खुला शिविर समिति की बैठक में उक्त याचिका (532/2021) की पालना में बन्दी सन्दीप पुत्र नवरंगी के खुला बन्दी शिविर प्रकरण पर विचार किया गया था। बंदी संदीप द्वारा 16 वर्ष से कम आयु की बालिका, जो रिश्ते में उसकी साली थी, के साथ यौन हमला कारित कर, बालिका की मृत्यु कारित करने का आशय व जानकारी रखते हुए उसके सिर पर पत्थर से मारकर चोटें कारित कर उसकी मृत्यु कारित करके साशय हत्या की गई थी। उसके द्वारा कारित कृत्य के फलस्वरूप बन्दी सन्दीप पुत्र नवरंगी को खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

बंदी द्वारा प्रतिबंधित धारा 460 आई.पी.सी. में 10 वर्ष की सजा पूर्ण कर ली गई है अत: यह प्रकरण संदीप पुत्र नवरंगी के प्रकरण से भिन्न है क्योंकि संदीप पुत्र नवरंगी को प्रतिबंधित धारा से दण्डित होने के कारण खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया था।

बंदी पूर्व के दो पेडिंग प्रकरणों में तो बरी हो गया है परन्तु बंदी के विरूद्व एक अन्य प्रकरण माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

पीसीपीएनडीटी एक्ट कैसेज बीकानेर के यहां प्रकरण संख्या 144/21 में अन्तर्गत धारा 42 कारागार (संशाधित) अधिनियम, 2015 विचाराधीन (जमानत पर) है।

*राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 की उद्देशिका में अंकित है कि-चूंकि राजस्थान के सिद्धदोषों में अच्छे आचरण, कार्य के संतोषजनक निष्पादन, एवं स्व-अनुशासन जीवन को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से **खुली हवा शिविरों में सिद्धदोषों को भेजने** के लिए नियम बनाना, तथा इन सिद्धदोषों को पूर्व-रिहाई प्रदाय करने के लिये, सामाजिक समायोजन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता सिखाने के अवसर प्रदान करने के लिये, नियम बनाये जाना आवश्यक है।*

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत **केवल दण्डित बंदियों को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का प्रावधान है** जबकि बंदी अन्य 01 प्रकरण में (जिसमे वह जमानत पर है) विचाराधीन है।

अत: उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **संदीप सिंह पुत्र डूंगर सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

4. विजय कुमार उर्फ खुशीलाल पुत्र दरपी उर्फ दुखीलाल, के.का.बीकानेर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2022 तक 12 वर्ष 07 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 28.03.2023 को निर्णय पारित कर बंदी के खुला बंदी शिविर प्रकरण पर पूर्व निर्णय याचिका संख्या 101/2019 (परवेज शाह बनाम राज्य व अन्य) में पारित निर्णय के प्रकाश में विचार कर 03 सप्ताह में निर्णय किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

बंदी द्वारा अपने अन्य पांच साथियों के साथ मिलकर दिनांक 21.07.2011 की रात 10 से 10.30 के बीच में एक जवाहरात व्यवसायी के घर में घुसकर सभी परिवाजनों को बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट की एवं घर के मालिक कमलचन्द बोथरा को अधिक मात्रा में नशीला पदार्थ सुंघाकर उनकी हत्या कारित की तथा अन्य सदस्यों को भी नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया। परिवार की महिलाओं के पहने हुए जेवर उतारकर छीन लिए व घर तथा दूकान में रखें जेवरात एवं नकदी लूट लिये। ऐसे गंभीर अपराध के लिये दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को आजीवन कारावास से दण्डित करते हुए दण्डादेश में यह अंकन किया है कि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध मनुष्य के लोक कल्याणकारी राज्य में उपलब्ध होने वाले सामाजिक सुरक्षा के अतिक्रमण का अपराध है।

बंदी को धारा 120बी, 302/120बी, 328/120बी, 323/120बी, 324/120बी, 395/120बी के साथ **प्रतिबंधित धारा 396/120बी आई.पी.सी.** में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3(घ) के अन्तर्गत साधारणतया एवं नियम 4(क) के अन्तर्गत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नही है।

बंदी के सह अभियुक्त बन्टी उर्फ बन्दीलाल पुत्र दरपी उर्फ दुखीलाल एवं अन्य चार सहअभियुक्त वर्तमान में पैरोल से फरार चल रहे है एवं इनके प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए।

अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर ने भी बंदी को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवायें जाने की प्रवंदना की है।

अत: समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **विजय कुमार उर्फ खुशीलाल पुत्र दरपी उर्फ दुखीलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

सदस्य	सदस्य सचिव	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
~~सहायक~~ उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।	संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।	कार्यवाहक अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर।	महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।